डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय आटूण भीलवाडा

डॉभीअराबाआवि / आटूण / लेखा / 21–22 / 321 दिनांक– 11 / 3 / 2022

नीलामी विज्ञप्ति

राईस के अधीन संचालित डॉ. भीमराव अम्बेड़कर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय आटूण भीलवाडा में उपलब्ध **नाकारा / अनुपयोगी सामान जहां है, जैसा है** के आधार पर नीलामी आवासीय विद्यालय परिसर में दिनांक 28–03–2022 को प्रातः 11.00 बजे से की जावेगी।

नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को नीलामी से पूर्व पुस्तकांकित मूल्य 5.00 लाख का बयाना राशि 10000 / – अक्षरे दस हजार रूपये का बैंक ड्राफट / बैंक पे आर्डर जो सम्बन्धित **प्रधानाचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय आटूण भीलवाडा** के पद नाम से बना हो जमा कराना आवश्यक है। नीलामी से संबंधित समस्त शर्तों का अवलोकन वेबसाईट http//sje.rajasthan.gov.in पर किया जा सकता है।

मंजु कोठारी
प्रधानाचार्य
डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका
आवासीय विद्यालय आटूण, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर
02. श्रीमान वित्तिय सलाहकार महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर को भिजवाकर निवेदन है कि नीलामी दिनांक 28–03–2022 को विभागीय प्रतिनिधि भिजवाने का कष्ट करावे।
03. श्रीमान उपनिदेशक महोदय, राईस जयपुर
04. ए.सी.पी.महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधि विभाग जयपुर को भिजवाकर निवेदन है कि नीलामी विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने का कष्ट करावे।
05. श्रीमान सहायक निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधि विभाग भीलवाडा
06. श्रीमान जिला कोषाधिकारी महोदय भीलवाडा
07. सूचना पट्ट
08. संबंधित स्टोर प्रभारी

मंजु कोठारी
प्रधानाचार्य
डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका
आवासीय विद्यालय आटूण, भीलवाड़ा

नकारा/अनुपयोगी सामान की नीलामी की शर्ते

1. नीलामी स्थल सम्बधित आवासीय विद्यालय प्रांगण में प्रत्येक बोली लगाने वाले को बोली लगाने से पहले बयाना राशि नीलामी योग्य नकारा/अनुपयोगी सामान के कुल पुस्तक मूल्य के 2 प्रतिशत के रूपये मे जमा करवाकर रसीद प्राप्त करनी होगी, उक्त बयाना राशि बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर से जमा करानी होगी। बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर प्रधानाचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, आटूण भीलवाड़ा के पक्ष में देय होगा तथा उक्त ड्राफ्ट सम्बन्धित शहर/जिले में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से आहरित किये जाने योग्य हो।
2. असफल बोली दाताओं (प्रथम अधिकतम बोली दाता को छोडकर) को उक्त बयाना राशि नीलामी समाप्त होने के बाद उनकी मांग पर लौट दी जावेगी। सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में बयाना राशि उसके द्वारा देय सामान के विक्रय मूल्य में सम्मिलित कर ली जावेगी।
3. एक बोली समाप्त होने के बाद सामान के बारे में कोई शिकायत विचारार्थ स्वीकार नहीं की जावेगी और नला ही बोल लगाने वाला अपनी बोली वापिस ले सकेगा। प्रत्येक बोली लगाने वाले के लिए यह समझा जावेगा कि उसने वस्तुओं/सामान का निरीक्षण कर लिया है और वह नीलामी की इन शर्तो को मानने के लिए बाध्य है।
4. **सामान की नीलामी "जैसा है जहाँ है" के आधार पर की जावेगी।** अतः बोली लगाने वाले से यह अपेझा की जाती है कि बोली से पूर्व सामान का पूरा निरीक्षण करले तथा सामान के विवरण के बारे मे अपने आप को संतुष्ट कर लें। निर्धारित बयाना राशि के अभाव में कोई भी व्यक्ति/फर्म बोली लगाने हेतु हकदार नहीं होंगे।
5. सबसे ऊँची बोली की एक चौथाई राशि सामान की नीलामी के तुरन्त बाद नीलामी स्थल पर ही जमा कराई जावेगी। नीलामी दिनांक को उक्त राशि जमा नहीं कराने पर उक्त बयाना राशि जब्त करली जावेगी एवं बोली दाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।
6. आवासीय विद्यालय द्वारा उल्लेखित नीलामी की तिथि को नीलामी कार्यवाही पूर्ण नहीं होने पर नीलामी समिति उचित निर्णय लेकर उक्त नीलामी की प्रक्रिया अगले कार्य दिवस को भी जारी रख सकती है।

7. प्रत्येक बोली की विक्रय राशि (सबसे ऊँची बोली) की शेष राशि बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर के द्वारा जमा करवाई जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर प्रधानाचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, आटूण भीलवाड़ा के नाम से बनवाया जावेगा। नीलामी दिनांक से तीन दिन के अन्दर यह राशि जमा करानी होगी। अन्यथा जमा बयाना एक चौथाई राशि जमा कर ली जावेगी। तत्पश्चात् द्वितीय अधिकतम बोली दाता की बोली पर विचार करने के लिए नीलामी समिति निर्णय हेतु स्वतंत्र होगी।
8. सुपुर्दगीः– नीलामी छूटने के बाद सामान तीन दिन के अन्दर हटाना आवश्यक है, जिसमे नीलामी का दिन शामिल नहीं है।
9. सामान की नीलामी के पश्चात् उसमें किसी नुकसान या कमी के लिए आवासीय विद्यालय/विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। प्रत्येक बोली लगाने वाले व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि पूर्ण विक्रय राशि तुरन्त जमा कराकर सामान को उठा लें।
10. विक्रय मूल्य के अतिरिक्त सफल बोली लगाने वाले के द्वारा जहाँ आवश्यक हो सामानों के विक्रय मूल्य के साथ–साथ सरकार द्वारा निर्धारित दर से वेट (VAT) एवं अन्य करो का भी भुगतान किया जावेगा।
11. बोली स्वीकार किये जाने की दिनांक से क्रेता द्वारा सरकार को राज्य में लागू करों एवं शुल्कों का भी भुगतान करना होगा।
12. कोई विभागीय/ आवासीय विद्यालय कर्मचारी बोली नहीं लगा सकेगा।
13. इन शर्तो के संबंध मे किसी भी प्रकार का समाधान करने एवं नीलामी के सम्बन्ध मे नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा।
14. न्यायिक विवाद क्षेत्राधिकार भीलवाडा जिला होगा।
15. नीलामी किए जाने वाले सामान का अवलोकन कार्य दिवसों मे विद्यालय मे किया जा सकता है।

मंजु कोठारी

(मंजु कोठारी)
प्रधानाचार्य
डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका
आवासीय विद्यालय आटूण, भीलवाड़ा